

# गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

## ई—पंजीकरण की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित खोराबार आवासीय योजना के अन्तर्गत रिक्त एल0आई0जी0 1 बी0एच0के0, मिनी एम0आई0जी0 2 बी0एच0के0, एम0आई0जी0 3 बी0एच0के0 श्रेणी के एवं राष्ट्रीय विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत रोहिणी अपार्टमेन्ट योजना के अन्तर्गत एम0आई0जी0 3 बी0एच0के0 श्रेणी के फ्लैटों का ई—लाटरी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक 25/09 /2024 से दिनांक 24/10/2024 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई—लाटरी दिनांक 24/10/2024 को सम्पन्न होगी। उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, नियम शर्त व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [www.gdagkp.in](http://www.gdagkp.in) पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति आनलाइन पंजीकरण कर सहते हैं।

(शूर्पी0 सिंह)

सचिव

(आनन्द वर्द्धन)

उपाध्यक्ष

# गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर |

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित खोराबार आवासीय योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत न्यू रोहिणी अपार्टमेन्ट

योजना के अन्तर्गत रिक्त आवासीय पलेटों का ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त किये जाने का स्वर्णिम अवसर पंजीकरण प्रारम्भ तिथि दिनांक 25/07/2024 पंजीकरण समाप्ति तिथि दिनांक 27/10/2024

पलेटों का विवरण :-

योजना का नाम	सम्पति की श्रेणी	सम्पति की कुल संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	अवशेष धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया
खोराबार आवासीय योजना	एलआईजी0 1बी0एच0कें0 पलेट (G+14)	135	33.10	16,45,000.00	1,64,500.00 <b>10% 05%</b> आरक्षण	1- आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर सम्पत्ति मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करना होगा। 2- अवशेष धनराशि भौतिक कल्जा प्राप्त करने से सम्बद्धित प्राधिकरण द्वारा सूचना पत्र निर्माता होने के तिथि से 90 दिन के अन्दर बिना व्याज के जमा करना होगा अथवा 3 वर्ष के अन्दर 10 प्रतिशत व्याज सहित मासिक किशत में जमा करना होगा।
-तदैव-	मिनी एमआईजी0 2बी0एच0कें0 पलेट (S+14)	35	43.54	28,58,400.00	2,85,840.00 1,42,920.00	
-तदैव-	एमआईजी0 3बी0एच0कें0 पलेट (S+14)	170	62.85	41,60,800.00	4,16,080.00 2,08,040.00	
राष्ट्रीय विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत न्यू रोहिणी अपार्टमेन्ट योजना	एमआईजी0 3बी0एच0कें0 पलेट (S+14)	616	62.85	40,17,000.00	4,01,700.00 2,00,850.00	

पंजीकरण हेतु क्या करें :-

- पंजीकरण विवरण पुस्तिका रु0-500.00 (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट [www.gdagkp.in](http://www.gdagkp.in) से डाउन लोड किया जा सकता है।
- निर्धारित पंजीकरण धनराशि आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- पलेटों का आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-लाटरी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें : फोन नम्बर 0551-2230132, टोल फ़ी नम्बर 18001202246

उपाध्यक्ष